

भारत में कृषि आंकड़ों को अपडेट करने की जरूरत

मोनिका यादव एवं विशाल यादव

परिचय:

किसी भी क्षेत्र में आंकड़ों की महत्ता को समझने से पहले हमें उसकी आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए जैसे— हमें कृषि के क्षेत्र में आंकड़ों की आवश्यकता क्यों है? इस बात को समझे तो हमें निम्न कारण दिखाई पड़ते हैं —

- ❖ बाजार को समझने के लिए
- ❖ मुद्रास्फीति के दौरान
- ❖ नीति और योजना के दृष्टिकोण के लिए
- ❖ कृषि उत्पादों की मांग के अनुसार, आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए।

आवश्यकता के बाद हम आंकड़ों की उपलब्धता पर ध्यान देते हैं। भारत में इसके लिए घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (एचसीआई) सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा कराया जाता है जो कि पंचवर्षीय सर्वेक्षण है। पिछली बार यह सर्वेक्षण 2011–2012 में हुआ था तथा अभी तक इसी डेटा का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2011–2012 में भारत की जनसंख्या 1,210.85 मिलियन थी जिसके अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति दूध की मासिक खपत — 4.33 लीटर थी। शहरी भारत में यह खपत — 5.42 लीटर थी। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें केवल घरेलू उपभोग किया जाने वाला दूध शामिल था

जैसे— दही, मक्खन, घी, पनीर आदि। इसमें व्यवसायों की खपत, जैसे— चाय की दुकान, होटल, आइसक्रीम, मिठाइयाँ खपत को भी जोड़ दे तो 25 प्रतिशत दूध की मात्रा अधिक यानी 94 मिलियन लीटर दूध की आवश्यकता अधिक होगी।

पशुपालन और डेरी विभाग के आंकड़ों (अनुमान के आधार पर) के अनुसार— भारत में दूध का उत्पादन 127.9 मिलियन टन था (2011–2012) जो 2020–2021 में बढ़कर 210 मिलियन टन हो गया। यानी की 2011–2012 में 289ग्राम/दिन से बढ़कर 2020–21 में 427 ग्राम/दिन उत्पादन हो गया परन्तु भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (एचसीआई) का डेटा 2011–2012 के बाद उपलब्धता नहीं है अब समस्या यह है कि हम उपलब्ध आंकड़ों का विप्लेशन किस प्रकार करें? ध्यातव्य है कि 2017–18 में हुए घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण को आंकड़ों में त्रुटि बता कर उसे रद्द कर दिया गया।

अब हम इन आंकड़ों के महत्व पर ध्यान देते हैं, कृषि में आंकड़ों का महत्व यह है कि इससे कृषि उत्पादों में माँग और आपूर्ति का विप्लेशन हो सकेगा उसके कीमत निर्धारण में मदद मिलेगी। साथ ही साथ बेहतर ढेरा से नीतियां तैयार करने में, फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्धन मूल्य, टैरिफ का

मोनिका यादव (परास्नातक छात्रा)

विशाल यादव (शोध छात्र),

प्रसार शिक्षा विभाग,

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या



निर्धारण, में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत जो खाद्यान्न सरकार के पास सुरक्षित रखा रहता है उसकी आवश्यकता कहाँ पर है, इसके विवरण में भी मदद मिल सकेगी।



NEW ERA

AGRICULTURE MAGAZINE